1

45

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ4(180)आयो/आकाशि/14/2476 दिनांक :2/5/2014

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
तारानगर जिला चूरू

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(23)शिक्षा/ग्रुप–3/2013 दिनांक 23 जनवरी, 2014 के द्वारा सत्र 2014–15 में तारानगर (चुरू) में नवीन राजकीय महिला महाविद्यालय (कला संकाय) खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है ।

शैक्षणिक सत्र 2014–15 में महाविद्यालय संचालन किये जाने हेतु प्रवेश आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 2.6.2014 से प्रारम्भ हो जायेगी ।

राजकीय महिला महाविद्यालय, तारानगर (चूरू) को शैक्षणिक सत्र 2014–15 से कला संकाय के **(हिन्दी साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, संस्कृत साहित्य, समाजशास्त्र)** विषयों में (दो सेक्शन हेतु 160 सीटें) हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन भी प्राप्त किया जाना है ।

इस कार्य हेतु आपको इस महाविद्यालय का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है । इसमें आने वाले व्यय को छात्रनिधि मद से व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

इसके साथ ही आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप राजकीय महिला महाविद्यालय, तारानगर हेतु जिला कलक्टर, चूरू से व्यक्तिगत सम्पर्क करें। अस्थाई भवन मिलने के उपरान्त फर्नीचर आदि की व्यवस्था तथा प्रवेश आदि की प्रक्रिया प्रारम्भ कर आयुक्तालय को सूचित करें ।

(समीर सिंह चन्देल)
आयुक्त, कालेज शिक्षा
एवं पदेन शासन सचिव, उच्च शिक्षा

क्रमांक एफ4(180)आयो/आकाशि/14/2477 दिनांक 2/5/.2014

प्रतिलिपि कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेजकर लेख है कि कृपया राजकीय महिला महाविद्यालय, तारानगर जिला चुरू को बिना विलम्ब शुल्क के सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें ।

(डा0 सी0एम0 खटीक)
संयुक्त निदेशक, आयोजना

Scanned with OKEN Scanner

19-5-17

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग
ईमेल-higheredu3@gmail.com दूरभाष-0141-5153223, 5153060 आई.पी. नं.24870)

क्रमांकः प 6(10)शिक्षा/ग्रुप-3/2017

दिनांकः

:: आदेश ::

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के बिन्दु सं. 209 की अनुपालना में राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विज्ञान विषय प्रारम्भ किये जाने हेतु निम्नलिखित बजट मदों के अन्तर्गत 40 नवीन पदों के सृजन (25 शैक्षणिक एवं 15 अशैक्षणिक) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

मांग संख्या- 24
बजट मद- 2202-03-103-(02)
राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिये) राज्य निधि

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक स्तर पर विषय/संकाय	पदनाम	पदों की संख्या
1	हिण्डौनसिटी	विज्ञान संकाय (भौतिकशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रासायन शास्त्र, गणित एवं प्राणीशास्त्र)	व्याख्याता प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला वाहक	05 02 01
2	भोपालगढ	विज्ञान संकाय (भौतिकशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित एवं प्राणी शास्त्र)	व्याख्याता प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला वाहक	05 02 01
3	लूणकरणसर	विज्ञान संकाय (भौतिकशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित एवं प्राणी शास्त्र)	व्याख्याता प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला वाहक	05 02 01
4	जायल	विज्ञान संकाय (भौतिकशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित एवं प्राणी शास्त्र)	व्याख्याता प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला वाहक	05 02 01
			योग	32

मांग संख्या- 24
बजट मद- 2202-03-103-(03)
राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिये) राज्य निधि

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक स्तर पर विषय/ संकाय	पदनाम	पदों की संख्या
1	तारानगर	विज्ञान संकाय (भौतिकशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित एवं प्राणी शास्त्र)	व्याख्याता प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला वाहक	05 02 01
			योग	08

उक्त आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध संबंधित बजट मदों के तहत प्रावधान से किया जाना सुनिश्चित करें एवं उक्त का आवश्यक आंकलन कर बीएफसी-2018-19 संशोधित अनुमान 2017-18 के यथासमय आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति आयोजना (जनशक्ति) विभाग की आई डी संख्या 50 दिनांक 24.04.2017 एवं वित्त (व्यय-1)विभाग की आई. डी. संख्या 131700149 दिनांक 20.04.2017 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

तारानगर 23/03/ दिनांक

स्वापना शर्मा
23-3-22

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग
highered...3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141 5153222 5153207 5153660 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(6)शिक्षा/ग्रुप–3/2022 जयपुर, दिनांकः– 15.03.2022.

–: आंदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022–23 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या–31.20.0 की अनुपालना में निम्नांकित महाविद्यालयों को स्नातक(यू.जी.) से स्नातकोत्तर (पी.जी.) स्तर में क्रमोन्नत कर, उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार नवीन संकाय/विषय प्रारंभ किये जाने की सैद्धांतिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	बजट मद	स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय/विषय	पद का नाम	पदों की संख्या
1	राजकीय महिला महाविद्यालय, तारानगर(चूरू)	मांग संख्या–24 2202–03–103–03–00	कला संकाय–भूगोल	सहायक आचार्य	02
			विज्ञान संकाय– रसायन शास्त्र	सहायक आचार्य	02
				प्रयोगशाला सहायक	02
				प्रयोगशाला वाहक	01
2	राजकीय महिला महाविद्यालय, सरवाड़(अजमेर)	मांग संख्या–24 2202–03–103–03–00	कला संकाय–भूगोल	सहायक आचार्य	02
			कला संकाय– हिन्दी साहित्य	सहायक आचार्य	02
				प्रयोगशाला सहायक	01
				प्रयोगशाला वाहक	01
				कुल योग	13

(1). उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में नवीन संकाय/विषय प्रारम्भ करने हेतु सहायक आचार्य के 08 पदों के सृजन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आयुक्तालय नवीन महाविद्यालयों के संचालन हेतु एक सोसाइटी का गठन करेगा जो चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु गठित राजमेस सोसाइटी की तर्ज पर गठित की जावें। नवीन राजकीय महाविद्यालयों हेतु आवश्यक पद इस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।

(3) सोसाइटी के गठन होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबंल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।

(4) अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय को वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 102201308 दिनांक 14.03.2022 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (आर.वी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner